न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 03/2015 **दायरा दिनांक : 02.01.2015**

उनवान

सोहनबाई पत्नी भग्गा, जाति बागरी, निवासी जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— भगवान सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसूड़िया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— रतनलाल आत्मज पूरा लाल, जाति ब्राहमण, , निवासी जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 04/2015 **दायरा दिनांक : 02.01.2015**

उनवान

सोहनबाई पत्नी भग्गा, जाति बागरी, निवासी जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— भगवान सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसूड़िया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— रतनलाल आत्मज पूरा लाल, जाति ब्राहमण, , निवासी जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.11.2019

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 411/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2013 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.02.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 2 ने अपीलांटा एवं अन्य रेस्पोडेंट के खिलाफ एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत कानून सम्मत विभाजन पेश किया था जिसमें अपीलांटा ने जवाबदावा पेश किया एवं बिना तनकी कायम किये व बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित कर दिया व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । न्यायालय ने दावा इस शर्त के साथ प्रारमिभक डिक्री किया कि कब्जे अनुसार बंटवारा कर खाते पृथक किये जाने की आज्ञा दी जाती है एवं उसके बाद बंटवारा स्कीम दिनांक 23.12.2013 को आयी एवं उसी दिन फाईनल डिक्री जारी करने हेतु वादी को स्टाम्प पेश करने का आदेश दिया । जिस पर वादी ने दिनांक 25.02.2014 को स्टाम्प पेश किये जिस पर फाईनल

डिक्री जारी की गई जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 3/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकी कायम किये व बिना साक्ष्य लिये ही निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.09.3013 निरस्त किया जाये ।

अपील संख्या 4/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन स्कीम पर फरीकेन को नहीं सुना, विभाजन स्कीम पेश होने बाबत दिनांक 23.12.2013 को पेशी नियत की गई थी, जिस दिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना फरीकेन को सुने फाईनल डिक्री करने हेतु वादी को स्टाम्प पेश करने के आदेश फरमा दिये दिनांक 25.02.2014 को स्टाम्प पेश होने पर फाईनल डिक्री जारी कर दी गई जो निरस्त होने योग्य है । प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार बंटवारा कर खाते पृथक किये जाने का आदेश दिया गया व वादग्रस्त आराजी में रास्ता वादी के हक की भूमि में वादग्रस्त भूमि में रखने का आदेश दिया गया था । इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री की पालना नहीं की गई जिस कारण फाईनल डिक्री अपास्त होने योग्य है । अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाबदावा में अपने पति भग्गा के खाते की आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बिस्वा से लगवा आराजी पर अपना कब्जा बताया है व कब्जा के अनुरूप बंटवारा करने का निवेदन किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो फाईनल डिक्री जारी की है वह मनमानी है परवर्स है केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.02.2014 अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.11.2014 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्राथमिक डिक्री अपील में रिकार्ड अनुसार है एवं अंतिम डिक्री को निरस्त कर रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 03/2015 खारिज की जाती है एवं निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2013 यथावत रखा जाता है एवं अपील संख्या 04/2015 स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.02.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में 3 माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.01.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा